an>

Title: Regarding alleged extra judicial activism by Jabalpur High Court in view of withdrawal of reservation in promotion.

डॉ. उदित राज : मैं यह कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट व्यू ले सकता था कि नागराज का केस वर्ष 2006 में डिसाइड हुआ था। वÂर्ष 2006 में नागराज का केस इसीलिए हुआ था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस विÂषय को लम्बा मत कीजिए, इस पर आपने चर्चा मांगी है।

डॉ. उदित राज : मैं जुडिशियरी पर कुछ नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं दलितों और गरीबों के अधिकारों के ऊपर बोल रहा हू। मैं जुडिशियरी पर कोई एस्पर्शन पास नहीं कर रहा हूं। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तब एक आंदोलन हुआ था, जो मेरे ही नेतृत्व में हुआ था। Of course, the Prime Minister was a very large-hearted person. उसके बाद 85वां अमेंडमेंट हुआ था। 85वें अमेंडमेंट के द्वारा the seniority rule of reservation in promotion was restored by the 85th Amendment. उसके बाद उसको कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। When the Karnataka High Court could not decide the matter, it came to the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने 85वें अमेंडमेंट को वेलीडेट किया और उसको वेलीडेट करते हुए तीन राइडर्स लगा दिए थे। हम यह चाहते हैं कि जुडीशियरी निÂष्पक्ष होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसको बेसलाइन बनाना चाहिए था, न कि मध्य प्रदेश के वÂर्ष 2009 के रूल्स को। उस जजमेंट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार को नागराज केस की तीन शर्तों को अप्लायी करना चाहिए। मैं उसी हाई कोर्ट से यह कहना चाहूंगा कि आप पांच जजिस की सुप्रीम कोर्ट की बैंच के निर्णय को नहीं मान रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार के रूल्स को मान रहे हैं, जबकि कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना चाहिए था जो कि सुप्रीम निर्णय है।

महोदया, यह देखा जा रहा है कि जब भी आरक्षण के पक्ष में कोई चीज होती है तो उसको कोर्ट साइट नहीं करते करते हैं, बल्कि नेगेटिव तथ्यों को साइट करते हैं। इसलिए मैं इस सदन से, मेघवाल जी ने इस सदन में कहा था कि उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने राÂट्रपति जी के ऊपर जिस तरह से कटाक्ष किया है, उसका यह सब हिसाब-किताब लेते रहते हैं। वÂान 1993 से जुडीशियरी इंडीपेंडेंट हुई है, कोलेजियम सिस्टम से जजिस अप्वाईंट हो रहे हैं। अगर जुडिशियरी में बैकलॉग है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। वह खुद जिम्मेदार होकर के खुद ही परफोर्म नहीं करते हैं और सब का बहीखाता चैक करते रहते हैं, सभी का ऑडिट करते रहते हैं कि सरकार यह काम नहीं कर रही है, वह काम नहीं कर रही है...(व्यवधान) नेशनल ज्युडिशयल अप्वाईंटमेंट कमीशन को हाउस ने पारित किया था।

माननीय अध्यक्ष : आप अलग-अलग विषयों पर मत बोलिए। आप रिजर्वेशन पर बोलें।

डॉ. उदित राज : उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल्ल-आउट कर दिया है। उसके बाद भी चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है, जब आप खुद ही ज्युडिशियरी को चला रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी विषयों पर मत बोलिए।

श्री कांतिलाल भूरिया।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

â€¦(व्यवधान)

डॉ. उदित राज : ज्युडिशयरी की क्या मजबूरी है? Extra-constitutional judicial activism has been harming the poor a lot. गरीबों के लिए योजनाएं और तमाम प्रोजेक्ट्स इस देश में रुके हुए हैं, डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए हैं। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का पावर भी ले लिया है, हम लोगों की पावर भी ले ली है, उसके बाद भी इनके यहां बैकलॉग पड़ा हुआ है और कहते हैं कि सरकार का दोÂष है। इसमें सरकार का क्या दोÂा है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है। आप बैठ जाइए।

श्री कांतिलाल भूरिया। आप एक सीनियर मैम्बर हैं, पहले ही जोर-जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। यह सही नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री हरीश मीणा, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री पी.पी. चौधरी श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, साध्वी सावित्री बाई फूले, कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. यशवंत सिंह और श्री अर्जुन लाल मीणा को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। इस प्रदेश की सरकार सोती रही और एडवोकट जनरल स्वयं मिला हुआ है और वहां बहुत बड़ा फैसला लिया गया। वÂर्ष 2002 से हमारे एससी-एसटी के कर्मचारी छोटी पोस्ट से पदोन्नति प्राप्त करके ऊंची पोस्ट तक आए, उन्हें रिवर्ट करके हमारे रिजर्वेशन को कोर्ट ने खत्म करने का फैसला किया है। सरकार कहती है कि कोर्ट ने फैसला किया है। इसके पीछे उनका गुप्त अजेंडा है, जो मन की बात है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत बात है। कोई आरोप मत लगाएं।

â€¦(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : वे कोर्ट से फैसला करवा रहे हैं। आपने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसलिए इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) जितने एससी, एसटी के हमारे एमपीज़ बैठे हैं, आप मौन बैठे हैं। हमारी पीड़ा यह है कि आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या ट्राइबल्स की है और यहां हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वÂर्ष 2002 से जितने भी रुग्ण आफिसर थे, इस आधार पर सब बाहर निकल जाएंगे। आज मध्य प्रदेश में भयंकर आक्रोश है और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। यहां की सरकार से बात करें तो कहा जाता है कि यह कोर्ट का फैसला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया: महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दे और यह जो फैसला लिया गया है, इसे वापिस लिया जाए।.आप आदिवासियों का सम्मान लौटाइये, अन्यथा इस तरह से काम चलने वाला नहीं है।...(व्यवधान) यह एक संवैधानिक व्यवस्था है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये, यह क्या कर रहे हैं?

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri S.P. Muddahanume Gowda.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the submission of Shri S.P. Muddahanume Gowda.

...(*Interruptions*)â€¦ *